

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) -PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2528] No. 2528] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2977(अ).—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के खण्ड 5 के उप-खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए मैसर्स आर्थन कार्गो एक्सप्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, ए-87/88, रोड नं. 4, मिहपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037 तथा डैक्कन 360 (डैक्कन कार्गो तथा एक्सप्रेस लॉजिस्टक्स प्राइवेट लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय एम्बेसी स्कवेयर, #148, इन्केंट्री रोड, बंगलौर-560001 में है, को "पदनामित भारतीय वाहक" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एस-28011/2/2010-एसओ (एस टी)] विजय कुमार, अवर सचिव MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2010

S.O. 2977(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby specifies M/s. Aryan Cargo Express (P.) Ltd., A-87/88, Road No. 4, Mahipalpur Extension, New Delhi-110037 and Deccan 360 (Deccan Cargo and Express Logistics Pvt. Ltd.) having its registered office at Embassy Square, # 148, Infantry Road, Banglore-560001 as "designated Indian carrier" for the purpose of the said sub-section.

[F. No. S-28011/2/2010-SO (ST)]
VIJAY KUMAR, Under Secy.